हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
6/5/024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित उभय पक्षों की बहस सुनी। हमने पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का मनन व अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण में स्वीकार्य है कि प्रार्थीया मीरा देवी की खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम गुडा गुमानसिंह के खसरा संख्या 388 में स्थित है। उक्त खसरे में आवागमन हेतु खसरा संख्या 389 व 404 में से नवीन रिकॉर्डेड रास्ता चाहा है। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु ग्राम गुडागुमानसिंह के खसरा संख्या 389 व 394 में से रास्ता प्रस्तावित किया है। प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 388 तक आवागमन हेतु खसरा नंबर 389 किस्म गै.मु. मगरी व खसरा नंबर 394 किस्म गै.मु. रडा तक ही रास्ता दिया जा सकता है। इसके आगे खसरा नंबर 403 गै.मु. नाडी है। वहीं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 के नियम 69 में स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार को अपनी जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने एवं खातेदार को अत्यान्तिक आवश्यकता होने पर ही रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिया जा सकेगा। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीनी द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि के खसरा संख्या 389 व 404 में से नवीन रिकॉर्डेड रास्ता चाहा है। जबकि तहसीलदार बाली द्वारा गै.मु.पाल को प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि बताते हुये इसके स्थान पर इसके संलग्न खसरा संख्या 394 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम गुडा गुमानसिंह की जमाबंदी (संवत 2074–2077) के खाता संख्या 1 में दर्ज खसरों, उनके नक्शा एवं तहसीलदार बाली की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 389 व 394 राजकीय सिवायचक है इसके निकटतम खसरा नंबर 403 व 405 गै. मु. नाडी है। नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि गै.मु. नाडी में पानी की आवक खसरा संख्या 389 व 394 से है। इन खसरों से रास्ता दिये जाने से यहां भविष्य में कच्ची व पक्की रोड बनने से पानी की आवक प्रभावित होगी। वहीं तहसीलदार बाली के रिपोर्ट कमांकः राजस्व/2023/27 दिनांक 06.04.2023 के बिन्दु संख्या 01 से स्पष्ट है कि प्रार्थीनी अपने खातेदारी भूमि में राजकीय सिवायचक खसरा संख्या 389, 403 व 404 में निर्बाध रूप से आवागमन वर्तमान में कर रही है। इस प्रकार प्रार्थीनी खातेदार को राजकीय सिवायचक भूमि में से रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाने की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होने तथा गै. मु. नाडी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र प्रभावित होने के कारण प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली